

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को सील करने हेतु आदेश)

पत्रांक : 1682 / वाद सं० आर-0783 / एस-12 / 2025

दिनांक: 17/04/2023

श्री रहीमूद्दीन अन्य आदि/भवन स्वामी,
तुन्तोवाला रोड़, मेहुवाला माफी,
देहरादून।

विपक्षी श्री रहीमूद्दीन अन्य आदि/भवन स्वामी तुन्तोवाला रोड़, मेहुवाला माफी, देहरादून, द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये स्थल पर लगभग 70 फिट गुणा 45 फीट क्षेत्रफल में भूतल पर 04 आवासीय भवन का निर्माण किया गया है। निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस जारी कर वाद संख्या आर-0783/एस-12/2025 योजित किया गया है।

उपरोक्त वाद में दिनांक 16.06.2025 को धारा 27 (1) के अधीन आदेश उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विपक्षी को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया। जिसे विपक्षी के पते पर दिनांक 16.06.2025 को स्थल पर चरखा करवाया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा विपक्षी को अवगत कराया गया कि मेहुवाला माफी देहरादून में स्थल पर निर्माण कार्य किये जाने तथा विपक्षी को पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 21.06.2025 तिथि नियत की गयी थी, आप नियत तिथि के उपरान्त अनुपस्थित/उपस्थित रहे। विपक्षी को अनेकों बार मना करने के पश्चात भी चोरी छिपे निर्माण कार्य किया गया है।

अतः उक्त परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन उपरान्त सम्पूर्ण चालान शुदा अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग आदेश पारित करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

-आदेश:-

विपक्षी श्री रहीमूद्दीन अन्य आदि/भवन स्वामी तुन्तोवाला रोड़, मेहुवाला माफी, देहरादून, द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये स्थल पर लगभग 70 फिट गुणा 45 फीट क्षेत्रफल में भूतल पर 04 आवासीय भवन का निर्माण किया गया है। निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 के अन्तर्गत चालान शुदा निर्माण को सील करने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अवैध निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18/7/25 को सील किया जाना है।

अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दे तथा स्थल पर स्वयं उपस्थित रहकर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी को ये भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगाई गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे, और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पति को क्षति पहुंचाने के समान है जो कानूनन दण्डनीय अपराध है।



पी०अधि०/सं०सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।